भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 108

सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

बाल मजूदरी

108. श्री एन रेड्डप्प:
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:
श्री निहाल चन्द चंद:
श्री अजय निषाद:
श्री दिलेश्वर कामैत:
श्रीमती नुसरत जहां रुही:
श्री शान्तनु ठाकुर:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि बाल मजदूरी पर प्रतिबंध के बावजूद देश के कई भागों में अभी भी बाल मजदूरी प्रचलित है और बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उक्त वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) बाल-मजदूरी के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान बाल मजदूरी के दर्ज मामलों की संख्या कितनी है और राज्यों के समन्वय से कुछ कार्य योजना सहित देश में बाल मजदूरी से पूरी तरह बचने और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) देश में बाल मजदूरी के नियंत्रण/रोकथाम के लिए सरकार किस हद तक सफल रही है/सफलता मिली है; और

(घ) क्या सरकार की इस संबंध में कोई विधान/कानून तैयार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): बाल मजदूरी गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और अशिक्षा जैसी अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का परिणाम है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश में 5-14 वर्ष के आयु समूह में मुख्य कामगारों की संख्या 43.53 लाख है, जिसमें 2001 की जनगणना के अनुसार 57.79 लाख की संख्या में गिरावट आयी है। 2011 की

जनगणना के अनुसार देश में 5-14 वर्ष के आयु समूह में मुख्य कामगारों का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986 में संशोधन किया है और बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो 1.9.2016 से लागू हो गया है। इस संशोधन अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष के आयु समूह के किशोरों के काम या नियोजन के पूर्ण निषेध का प्रावधान है। इस संशोधन अधिनियम में अधिनियम के उल्लंघन पर नियोजकों के लिए कड़े दण्ड का भी प्रावधान है तथा अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार जो कोई भी किसी बच्चे को रोजगार में लगाता है या प्रावधानों का उल्लंघन करके काम करने की अनुमति देता है उसे कम से कम छह महीने का कारावास, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा कम से कम बीस हजार रुपये जिसे पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

साथ ही जो कोई भी किसी किशोर को रोजगार में लगाता है या प्रावधानों का उल्लंघन करके काम करने की अनुमति देता है उसे कम से कम छह महीने का कारावास, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा कम से कम बीस हजार रुपये जिसे पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत पाए गए उल्लंघनों, शुरू किए गए अभियोजनों और दोषसिद्धियों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का भी कार्यान्यन कर रहा है। एनसीएलपी के अंतर्गत बचाए गए/काम से छुड़ाए गए 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को एनसीएलपी के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामित किया जाता है, जहाँ औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाए जाने से पहले उन्हें समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के निकट समन्वय के माध्यम से सीधे औपचारिक शैक्षिक प्रणाली से जोड़ा जाता है और बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन तथा एनसीएलपी स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाता है। एनसीएलपी को बेहतर निगरानी तथा कार्यान्वयन के माध्मय से सफल बनाने के लिए पेंसिल नामक (*बाल श्रम विहीनता के लिए प्रभावी प्रवर्तन हेतु प्लेटफार्म*) पोर्टल बनाया गया है जिसमें पारदर्शिता के साथ समय पर कार्य के निपटान को सुनिश्चित किया जाता है।

**

******

अनुबंध-I

बाल मजदूरी के संबंध में दिनांक 18.11.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

2011 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष के आयु समूह में मुख्य कामगारों का राज्य-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**5-14 वर्ष के आयु समूह में मुख्य कामगारों की संख्या**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	999
2.	आंध्र प्रदेश **	404851
3.	अरुणाचल प्रदेश	5766
4.	असम	99512
5.	बिहार	451590
6.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	3135
7.	छत्तीसगढ़	63884
8.	दादरा और नगर हवेली (यू.टी.)	1054
9.	दमन और दीव (यू.टी.)	774
10.	दिल्ली यू.टी.	26473
11.	गोवा	6920
12.	गुजरात	250318
13.	हरियाणा	53492
14.	हिमाचल प्रदेश	15001
15.	जम्मू और कश्मीर (यू.टी.)*	25528
16.	झारखंड	90996
17.	कर्नाटक	249432
18.	केरल	21757
19.	लक्षद्वीप यूटी	28
20.	मध्य प्रदेश	286310
21.	महाराष्ट्र	496916
22.	मणिपुर	11805
23.	मेघालय	18839
24.	मिजोरम	2793
25.	नगालैंड	11062
26.	ओडिशा	92087
27.	पुदुचेरी यू.टी.	1421
28.	पंजाब	90353
29.	राजस्थान	252338
30.	सिक्किम	2704
31.	तमिलनाडु	151437
32.	त्रिपुरा	4998
33.	उत्तर प्रदेश	896301
34.	उत्तराखंड	28098
35.	पश्चिम बंगाल	234275
	संपूर्ण	4353247

* लद्दाख (यू.टी) सहित

** तेलंगान सहित

अनुबंध-II

बाल मजदूरी के संबंध में दिनांक 18.11.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

केन्द्रीय क्षेत्र में **मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) से** बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन), अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के संबंध में प्राप्त सूचना

केन्द्रीय क्षेत्र में **मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)** से बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन), अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के संबंध में प्राप्त सूचना	2016-17	2017-18	2018-19
किए गए निरीक्षणों की संख्या	2265	3826	4586
छुड़ाए गए बच्चों की संख्या	0	0	0
पता लगाए गए उल्लंघनों की संख्या	610	1966	1325
शुरू किए अभियोजनों की संख्या	0	0	27
की गई दोषसिद्धियों की संख्या	0	0	0
लगाया गया जुर्माना/एकत्र की गई निधि	0	0	0
जेल भेजे गए दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	0	0	0

राज्य- क्षेत्र में राज्य सरकारों से बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन), अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के संबंध में प्राप्त सूचना

राज्य- क्षेत्र में **राज्य सरकारों** से बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन), अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के संबंध में प्राप्त सूचना	2016	2017	2018
किए गए निरीक्षणों की संख्या	269451	280595	338696
छुड़ाए गए बच्चों की संख्या	2751	3013	3650
पता लगाए गए उल्लंघनों की संख्या	4184	2171	1636
शुरू किए अभियोजनों की संख्या	1944	1677	1168
की गई दोषसिद्धियों की संख्या	700	701	690
लगाया गया जुर्माना/एकत्र की गई निधि	8227400	7336036	2451390
जेल भेजे गए दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	7	9	9